हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–9/2011.––हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्याक 14

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 32 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में ''अधिसूचित'' शब्द के स्थान पर "नियत" शब्द रखा जाएगा।

3. **धारा 55 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, दो से अधिक बार अपराध करता है, तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा(1) के अधीन शमन के पश्चात् भी यदि व्यक्तिक्रम जारी रहता है, तो विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त करके परिसर को सील कर सकेगा या सम्बद्ध प्राधिकारी को पर्यटन इकाई का पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी, ऐसे आदेशों की अनुपालना करने के लिए आबद्ध होगा और अनुपालना की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को देगा''।

————————

उधेश्यों और कारणों का कथन

पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाक्लाप के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह स्थानीय लोगों के उपार्जन तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा उपार्जित करने का मुख्य स्त्रोत है। राज्य में पर्यावरण के कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की विस्तष्त संभावना है, जिससे ये सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप में धारणीय हैं और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सषजित किए जाने से यह राज्य के लोगों के लिए समृद्धि लाने का एक प्रभावशाली साधन बन गया है। पर्यटकों को अपेक्षित सुख–सुविधाएँ और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन स्थानीय लोगों और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की अपेक्षा करता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 में, पर्यटन के संवर्धन के लिए सहभागिता व्यवस्था का अभाव है, इसीलिए पर्यटन के संवर्धन तथा हिमाचल को आकर्षक और सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य (स्थल) बनाने हेतु प्राइवेट सेक्टर की बष्हतर सहभागिता प्राप्त करने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था।

इस अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध के अधीन सम्बन्धित इकाई ऑपरेटर से प्रस्ताव आने के पश्चात् ही दरों को अधिसूचित किया जाता है। अतः अब यह प्रस्तावित किया गया है कि दरों को, इनका पूर्णतया परीक्षण करवाने के पश्चात् ही विभाग द्वारा नियत किया जा सकेगा। ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से दर नियत करने में यह सहायक होगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन इकाईयों का व्यापक स्तर पर आगे आ रही हैं, किन्तु पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अरजिस्ट्रीकृत इकाई ऑपरेटरों के लिए कड़े प्रवर्तन का कोई उपबन्ध नहीं है। पर्यटकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों के लिए विनियामक कड़े स्तरों(मानकों) की व्यवस्था करने तथा उन्हें प्रवर्तित करने के लिए एक विधिक विरचना का होना अनिवार्य है। इसलिए, पर्यटन के प्रयोजनों के लिए और सुरक्षा स्तरों की व्यवस्था करने के लिए इकाईयों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है।

पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध केवल शमन और न्यायिक कार्यवाहियों हेतु व्यवस्था करते हैं। यह पाया गया है कि अरजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर शमन के पश्चात् और न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान भी अपनी इकाईयां चालू रखते है।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि एक ऐसा उपबन्ध किया जाए जो अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों के बिजली और पानी के कनेक्शनों को काटने के लिए प्राधिकृत कर सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीख, ..., 2011

वित्तीय ज्ञापन

––शून्य––

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (**Act No.15 of 2002).***

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty second Year of the Republic of India as Follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 32.—In section 32 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, in sub- section (1), for the word "notify", the word "fix" shall be substituted.

3. Amendment of section 55.—In section 55 of the principal Act, after sub section(2), the following shall be inserted, namely;-

"Provided that if a person commits an offence under this Act for more than two times, the same shall not be compounded."

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, if the default continues after composition under sub section (1), the prescribed authority or the person authorized by the State Government may seal the premises by requisitioning the help of the local police or shall pass orders, in writing to disconnect the water and electricity connection of the tourism unit, to the authority concerned and such authority shall be bound to comply with such orders and shall report compliance to the prescribed authority."

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Tourism is recognized as an important economic activity and is a major source for earning to the local population and foreign exchange earner for the country. Himachal Pradesh has a vast tourism potential on account of environment in the State so that they are culturally and environmentally sustainable and become an effective instrument of bringing prosperity for the

people of the State through creating employment opportunities on a vast scale. Tourism requires the participation of local population and private sector to provide the required amenities and services to the tourists. The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, lacks a participatory, mechanism to promote tourism and therefore, Tourism Development Board was set to seek greater participation of private sector in promotion of tourism and marketing Himachal an attractive and safe tourism destination.

Under the existing provision of this Act, rates are only notified after having proposals from the respective unit operator. Therefore now it is proposed that the rates may be fixed by the Department after getting it examined thoroughly. This will help the department to have rate fixation judiciously keeping in view the facilities provided by the operators. Tourism units in Himachal are coming up in a big way but there is no provision for strict enforcement for the unregistered unit operators under the Act ibid. In order to instill the faith of tourists, it is necessary to have a legal frame-work for making and enforcing regulatory strict standards for unregistered units. Thus, there is a need to have compulsory registration of units for tourism purposes and to provide safety standards. The existing provisions of the Act ibid only provides for composition and judicial proceedings. It has been observed the unregistered operators keep on running their units after the composition and even during the judicial proceedings.

Therefore it is proposed that a provision should be made which may authorize to disconnect the electricity and water connections of the unregistered units. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister

SHIMLA:

The ……., 2011.

———————

FINANCIAL MEMORANDUM

——NIL——

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——Nil——